संख्या- 3/2018/496/53-2-18-2(71)/15टीसी-1

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की दुग्ध विकास विभाग की परियोजनाओं हेतु ऋण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-297/53-2-2018-2(71)15टीसी, दिनांक-30.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी लागू किये जाने के कारण आर0आई0डी0एफ0 से वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष दिनांक 30.06.2017 के पश्चात किये जाने वाले कार्यों पर जीएसटी के कारण रू0 59.41 करोड़ की लागत में वृद्धि हो गयी है। उक्त के अतिरिक्त निर्माणाधीन डेरियों के संबंध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों/यू0पी0एस0आई0डी0सी0/गीडा/जिला पंचायत द्वारा विकास शुल्क एवं मानचित्र शुल्क, वैधानिक शुल्क तथा सेस आदि के मद में रू0 14.4525 करोड़ की लागत में वृद्धि हो गयी है। इस प्रकार आर0आई0डी0एफ0 से वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं में जी0एस0टी एवं विकास शुल्क तथा मानचित्र शुल्क, वैधानिक शुल्क तथा सेस आदि के मद में कुल रू0 73.8625 करोड़ की लागत बृद्धि हुई है। साथ ही नोएडा डेरी के सुदृढ़ीकरण प्लान्ट हेतु रू0 13.31 करोड़, इलाहाबाद डेरी के सुदृढ़ीकरण प्लान्ट हेतु रू0 10.51 करोड़, वाराणसी डेरी प्लान्ट हेतु रू0 1.54 करोड़ एवं मेरठ डेरी प्लान्ट हेतु रू0 2.8235 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 102.046 करोड़ की धनराशि पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण मद में आवश्यक है। अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की आर0आई0डी0एफ0-21 योजना से वित्त पोषित प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की दुग्ध विकास विभाग की परियोजनाओं हेतु ऋण के मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 134.10 करोड़ के सापेक्ष रू0 102.046 करोड़ (रूपये एक अरब दो करोड़ चार लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर पी0सी0डी0एफ0 को ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है, उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी प्रयोजन/मद में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को एक मुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) ऋण के रूप में पी0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध करायी जा रही प्रश्नगत धनराशि हेतु ऋण की शर्तों का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-4-857/दस-2016-6-1965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) पी0सी0डी0एफ0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थाओं व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही पी0आई0बी0 की बैठकों में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग--1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी प्रयोजन/मद में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा।

(8) धनराशि आहरित करके आवश्यकतानुसार व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) कार्यदायी संस्था आई.डी.एम.सी. को धनराशि बैंक गारण्टी प्राप्त होने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी।

(10) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

(11) स्वीकृति धनराशि को दिनांक-31.03.2018 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाये तथा जो धनराशि निकाली जाये उसकी सूचना तुरन्त शासन एवं महालेखाकार को भेजी जाये।

(12) पी0सी0डी0एफ0 आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

(13) प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/पी0सी0डी0एफ0 द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंसेज प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पी0सी0डी0एफ0 द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना में प्लान्ट व मशीनरी के भवनों में छत व कुर्सी की अतिरिक्त ऊँचाई, स्ट्रोगर फाउण्डेशन व गहरी नींव आदि कार्य मदों हेतु सामान्य प्राविधान से अधिक का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु सुविचारित कार्ययोजना बना ली जाय ताकि प्रायोजना हेतु आवश्यक दुग्ध की आपूर्ति की निरन्तरता बनी रहे।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरें निर्गत कर दी जाती है, तो प्रायोजना हेतु वर्ष 2014 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों एवं वर्ष 2015 के कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर की धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पी0सी0डी0एफ0लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रममें आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) पीसीडीएफ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यमदों हेतु आई0डी0एम0सी0 लि0 द्वारा जो लागत प्रस्तावित की गयी है वही लागत इन कार्यमदों की अन्य फर्मों को भी दी गयी हो।

(20) पीसीडीएफ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2689/53-15-2(29)/13टी.सी.1, दिनांक 05 नवम्बर, 2015, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1306/53-16-1(विविध)/ 2016,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 30 मार्च, 2016, एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-320/53-2-16-2(29)/13टी.सी.1, दिनांक 17 जून, 2016, में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''6404-डेरी विकास के लिये कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-पी.सी.डी.एफ. के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण'' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-434/दस-2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-3/2018/496 (1)/53-2-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 2-पार्क रोड, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-1/3/4, उ0प्र0 शासन।
10. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।